

12018/00028

1/11/18
8/2/18

ब्याचलर (राजस्व) लुकरासर, जिला बीकानेर

सरकार

नाम श्री सुमाना देवी नि. 2101/18 मु. 12
दि. 5.5.18

किरण मुकदमा - अक्टोबर 1954 की धारा 22

एल. आर. एक्ट 1955 की धारा 9

मुकदमा नम्बर

23/18

वर्ष

फसल

उत्पत्ति

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तिथि
-------------	-----------------	--------------

20/11/18

पटवारी हल्का

की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुवादिक मोट अप्राथी ने

ग्राम/चक सुमाना के

खसम नं./मुकदमा 171

दादादी 7-0 बीघा

राजकीय भूमि पर सम्यक् 2074 में

नाजायज कब्जा कर कायम कर ली। अप्राथी को धारा 22/54 के तहत नोटिस

जाति किया जावे एवं प्र-अनिलेड निविदा को फसल ख कर, हेतु लिखा


जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को वैध हो।

21.4.18

23/11/18

8/2/18

पत्रावली पेश हुई! लुकरासर सरकारी भूमि पर
 उपरोक्त धारा 22/54 के तहत नोटिस जारी किया गया
 है। पत्रावली सुनाई किया गया! 3287 प्र. 29 वा.
 मोटा प्र. 45 के तहत सम्यक् सुनाने
 सुनाई किया गया!



(7)

दिनांक 21/5

ब्याचलर के पत्रावली 109
 के तहत 20 पर मोटा प्र. 45
 की जाती

सुमाना
 120/12/18

न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 20 / 2018

दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ... ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल ... पुत्र ... जाति ... साकिन ... ने ग्राम ... के खसरा नं० ... रकबा ... बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाडा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। सम्बन्धित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल पुत्र श्री ... जाति ... साकिन ... ग्राम ... खसरा नं० ... रकबा ... बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व, अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व ... का 50 गुणा रूपये ... शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बावत सम्बन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बावत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर